न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 98 / 2025

श्री कबीर पुत्र जफर, निवासी पानी की टंकी के पास वार्ड नं. 80, अजमेर राज. पिन 305001

--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 13.11.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 24.09.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 प्री कैंप में दिनांक 14.09.2021 में आवेदन क्रमांक 828 दिनांक 25.11.22 (आवेदक का नाम सद्दाम पुत्र शब्बीर पत्ता अन्नपूर्णा वार्ड न 56) द्वारा पट्टा 69क के लिए लगाए गए आवेदन पत्र एवम आवेदन पर की गई कारवाही की संपूर्ण पत्रावली मय नॉटशीट की प्रति चाहने बाबत।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 2076 दिनांक 30.10.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 1012 दिनांक 4.11.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध आयुक्त नगर परिषद टोंक से होने से उनके पत्र क्रमांक 894 दिनांक 29.09.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 895 दिनांक 29.09.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट आयुक्त नगर परिषद टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)